फा.सं.-21034/69/2008-रा.भा.(प्रशि)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-2 भवन, जयसिंह रोड

नई दिल्ली-110001

दिनांक - 05.02.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय-केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम-काज राजभाषा हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास आधारित नए पाठ्यक्रम "पारंगत" के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रस्तावित मानदेय (पुरस्कार) लागू करने के संबंध में ।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की सहमति के आधार पर इस विभाग के दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को अवगत करवाया गया था कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से "पारंगत" पाठ्यक्रम को व्यापक व लोकप्रिय बनाने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिकों को पारंगत प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तीर्ण होने पर निम्नानुसार एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है :-

(क) 55% से 59% अंक प्राप्त करने पर 4000/- रु.

(ख) 60% से 69% अंक प्राप्त करने पर 7000/- रु.

(ग) 70% से अधिक अंक प्राप्त करने पर 10,000/- रु.

2. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से इस विभाग में ऐसे अनेक पत्र प्राप्त हो रहे हैं कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा "पारंगत" पाठ्यक्रम की कक्षाएं वर्ष 2015-16 से संचालित की जा रही हैं । अतः पारंगत प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तीर्ण होने पर एक मुश्त प्रोत्साहन राशि का प्रावधान वर्ष 2015-16 से प्रदान करने हेतु प्रभावी किया जाए ।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों को पुनः अवगत करवाया जाता है कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की दिनांक 17.12.2020 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या 14(2)ई.समन्वय 2015 (1526920) की सहमति के आधार पर **वित्तीय वर्ष 2021-22** से पारंगत पाठ्यक्रम को व्यापक व लोकप्रिय बनाने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिकों को पारंगत प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तीर्ण होने पर एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ।

(आनंद कुमार)

निदेशक (नीति एवं प्रशिक्षण)

दूरभाष नं. 01123438250

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक/स्वायत्तः निकायों/ उद्यमों/ [illegible]

2. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि :-

1. गृह मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालय ।
2. सभी संघ शासित क्षेत्र ।
3. गृह मंत्रालय व राजभाषा विभाग के सभी अनुभाग/डेस्क ।
4. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सीजीओ काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
5. निदेशक(तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली । कृपया इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें ।
6. अतिरिक्त 20 प्रतियां ।